<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 03/2018 आर्म्स अपील (GCMS/2018/00106)
पंजीयन दिनांक - 03.02.2018
निर्णय दिनांक - 24.11.2020

1. श्री किशन सिंह झाला पिता स्व. श्री अमरसिंह झाला, निवासी माण्डक का गुडा, पुलिस थाना देलवाड़ा, जिला राजसमन्द, राजस्थान।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द (राज.)

-प्रत्यर्थी-1 व 2

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री गुलजार सिंधी - अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 28.05.2018, क्रमांक एफ. 21/11(1)(ख)अति.श./न्याय/2017/4539

<u>निर्णय</u>

दिनांक 24.11.2020

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के पारित आदेश क्रमांक एफ.21/11(1)(ख)अति.श./न्याय/2017/4539 दिनांक 28.05.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री किशनसिंह झाला पुत्र स्व. श्री अमरसिंह झाला, निवासी मांडक का गुडा तहसील नाथद्वारा द्वारा शस्त्र लाईसेंस न. 02/2016 में दर्ज 12 बोर डीबीबीएल गन. 97840 के साथ साथ दूसरा अतिरिक्त शस्त्र एन.पी.

पिस्टल/रिवाल्वर दिलानें हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा कार्यवाही करते हुए आदेश क्रमांक एफ.21/11(1)(ख)अति.श./न्याय/2017/4539 दिनांक 28.05.2018 से अपीलार्थी को एन.पी पिस्टल/रिवाल्वर दूसरे हथियार के रूप में अनुमति सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2017 खारिज किया।

- उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्री किशनसिंह झाला द्वारा दिनांक 03.07.2018 को इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के प्रस्तुत की।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 03.11.2020 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बिना विधि का अध्ययन किये तथा तथ्यों पर गौर किये बिना तथा सम्बन्धित सभी विभागों के द्वारा अनापत्ति बाबत जांच रिपोर्ट पर गौर किये बिना उक्त आदेश पारित किया। सभी विभागों द्वारा द्वितीय शस्त्र हेतु अपनी सहमति दी है, अपीलार्थी के चरित्र के सम्बन्ध में सकारात्मक कथन किये है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अपीलार्थी जिस जगह से होकर गुजरता है, वह रास्ता देर रात्रि में जंगली जानवरों से खतरे वाला स्थान है। 12 बोर की बन्दूक बड़ी होने से उसको बार-बार लाने ले जाने में असुविधा होती है। वांछित शस्त्र स्वयं की सुरक्षा को रात्रि को नौकरी से आते जाते समय जगंल होने की वजह से चोर, लुटेरों एवं डकैतों तथा जंगली जानवार से सुरक्षा हेतु चाहा गया। जिला राजसमन्द में लगातार पैंथरों की संख्या बढ़ती जा रही है, घटनाएं बढ़ती जा रही है, ऐसे में सुरक्षा रखना अनिवार्य है। धारा-3(2) के तहत एक व्यक्ति को एक साथ तीन शस्त्र रखने की अनुमति है, फिर भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आलौच्य आदेश पारित

किया जिसे निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को द्वितीय शस्त्र क्रय करने एवं रखने की नियमानुसार अनुमति प्रदान कराई जावें।

राजकीय पेरोकार द्वारा बहस में प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई, परन्तु जांच अधिकारियों और किसी भी विभाग द्वारा यह उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी को जान का खतरा है और न ही उल्लेख किया है कि उसे द्वितीय शस्त्र दिया जाना आवश्यक है, सिर्फ द्वितीय शस्त्र की को क्रय किये जाने में अपनी सहमति/आपत्ति दी है। अतिरिक्त शस्त्र नियम-12 के तहत दिया जाना नियमान्तर्गत नहीं है, जिससे वांछित दाद प्रदान नहीं कर आवेदन खारिज किया गया। पारित आदेश पूर्णतया विधिक होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्री किशनसिंह झाला पुत्र स्व. श्री अमरसिंह झाला, निवासी मांडक का गुडा तहसील नाथद्वारा द्वारा शस्त्र लाईसेंस न. 02/2016 में दर्ज 12 बोर डीबीबीएल गन. 97840 के साथ साथ दूसरा अतिरिक्त शस्त्र एन.पी. पिस्टल/रिवाल्वर दिलानें हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा कार्यवाही करते हुए आदेश क्रमांक एफ.21/11(1)(ख)अति.श./न्याय/2017/4539 दिनांक 28.05.2018 से अपीलार्थी को एन.पी पिस्टल/रिवाल्वर दूसरे हथियार के रूप में अनुमति सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2017 खारिज किया। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय शस्त्र हेतु प्रमुख कारणों में से जंगली जानवरों, चोर, लुटेरे एवं डकेतों से अपीन जान का खतरा होने का उल्लेख किया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा स्वयं उल्लेख किया गया है कि वह एक सीधा साधा व्यक्ति है, उसकी किसी से कोई रंजिश आदि नहीं है, सीधा नौकरी से घर आता है और जाता है। ऐसी स्थिति में तथ्यों से यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी को किस प्रकार से

जान का खतरा है। साथ ही अपीलार्थी के पास स्वयं की सुरक्षा हेतु पहले से ही शस्त्र लाईसेंस न. 02/2016 में दर्ज 12 बोर डीबीबीएल गन. 97840 से एक शस्त्र है। हस्तगत प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा श्री किशनसिंह की जान को कोई गंभीर खतरा नही होने का अंकन किया है। दुसरा अतिरिक्त शस्त्र एन.पी. रिवाल्वर/पिस्टल आर्म्स रूल्स्-2016 के नियम 12 के तहत दिया जाना नियमानुसार नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है, उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 28.05.2018 में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश दिनांक 28.05.2018 यथावत रखा जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर